शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)
सुरक्षा गॉर्ड हेतु निविदा

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र एवं शर्ते
(प्रपत्र "एक" से प्रपत्र "चार" तक)
वर्ष – 2024–25

निविदा फार्म का मूल्य ₹ 5000.00

//शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)//

विश्वविद्यालय परिसर में भवन एवं संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित निविदा

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पंजीकृत सक्षम श्रेणी (ए–1 एवं उच्च श्रेणी) के ठेकेदार/फर्म से सीलबंद निविदा स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है। उक्त प्रपत्र विश्वविद्यालय के वेबसाईट से प्राप्त करते हुये ₹ 5000 =00 (पांच हजार) का डिमांड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि ₹ 2,00000 =00 (दो लाख) पृथक – पृथक संलग्न किया जावे। उक्त डिमांड ड्राफ्ट, "कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविविद्यालय, बस्तर" के नाम से बनाया जाये। प्रपत्र राशि एवं धरोहर राशि की डिमांड ड्राफ्ट पृथक लिफाफे में भरा जाये। जिसके उपर प्रपत्र राशि एवं धरोहर राशि का विषय अंकित हो। निविदा आमंत्रण विवरण इस प्रकार है :–

निविदा प्रपत्र उपलब्ध करने की तिथि	– दिनांक – 08.07.2024 से
विश्वविद्यालय में निविदा प्राप्ति का अंतिम तिथि	– दिनांक – 07.08.2024 समय सांय 5.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	– दिनांक – 08.08.2024 समय पूर्वान्ह 11.30 बजे से

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)
सुरक्षा गॉर्ड हेतु निविदा

—: निविदा प्रपत्र :—

नोट :— निविदाकर्ता, निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर सुरक्षा एजेंसी की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें ।

प्रपत्र एक

प्रति,

कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर (छ.ग.)

महोदय,

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर द्वारा जारी निविदा क्रमांक/90/श.म.क.वि.वि./भण्डार/2023–24 जगदलपुर, दिनांक 05/07/2024 के संदर्भ में मेरा आवेदन एवं निविदा प्रस्तुत है तथा मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं विश्वविद्यालय द्वारा निविदा–प्रपत्र में, अनुबंध कंडिकाओं तथा संदर्भित निविदा विज्ञापन में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन करते हुए सुरक्षा ठेके का कार्य करने हेतु सहमत हूँ। मैं प्रपत्र राशि **₹ 5,000 =00**. (पांच हजार) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... एवं धरोहर राशि **₹ 2,00,000 =00** (दो लाख) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... जो ....बैंक से निर्मित है तथा कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के नाम से देय है, की मूल प्रति संलग्न कर रहा/रही हूँ ।

01. नाम व पता ____________________
____

02. यदि कोई पार्टनर हो तो उसका नाम एवं पता यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म है तो व्यक्तिगत पंजीकृत प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न की जावे यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म नहीं है तो व्यक्तिगत भागिता–पत्र की नोटरी से सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाये । :____________________

03. पूर्व कार्यो के अनुभव का विवरण का संबंधित संस्थान के नाम –पते एवं परफॉरमेन्स रिपोर्ट सहित देवें (अलग शीट पर विवरण संलग्न करें)। :____________________

04 वर्तमान में कितने सुरक्षा कर्मचारी आपकी ठेकेदारी में कार्यरत है। :____________________

05 वर्तमान में जहां कार्य चल रहा हो, उस संस्थान का नाम व पता (समर्थन में पत्र/आदेश प्रति संलग्न की जावें) :____________________

06 सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित लेबर लायसेंस का विवरण (लायसेंस के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे) :____________________

07 भविष्य निधि कोड नं. एवं वर्करमेन कम्फरमेशन पालिसी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे। :____________________

08 ESIC/ EPF No., Employees Code No. का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे। :____________________

09 सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे) :____________________

10 GST का वैद्य प्रमाण पत्र संलग्न की जावे। :____________________

Scanned with OKEN Scanner

11. फर्म का कर समाशोधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। (यह सुनिश्चित हो कि फर्म ने देयक कर भुगतान किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है) :————————————

12 फर्म संचालक का PAN नम्बर की प्रमाणित छायाप्रति :————————————

13. वर्ष 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24 में आयकर भुगतान चालान की छायाप्रति CITR acknowledgement की सत्यापित प्रति संलग्न करें। ————————————

14. फर्म का वार्षिक टर्न ओवर एवं उल्लेखित तीन वर्ष का Form -16 (C.A. द्वारा प्रमाणित) संलग्न करें। फर्म का वार्षिक टर्न—ओवर न्यूनतम ₹. 50 .00 (पचास लाख) वार्षिक होना चाहिए।

15. फर्म वर्तमान में किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कालीसूची में नामजद है/नहीं है। (संबंधित विवरण उल्लेखित करते हुये ₹. 50 .00 (पचास) के गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर (नोटराईज्ड) संलग्न करें)..

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही एवं पूर्ण है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छीपाया नहीं गया है तथा मैने कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

दूरभाष नंबर : ....

मोबाईल नंबर : ....

फैक्स नंबर : ....

E- mail ID ....

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

मुहर : ....

(टीप :— अभिलेखों की छायाप्रतियों को निविदाकार के द्वारा अपने पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। स्वयं सत्यापन करते हुये हस्ताक्षर के नीचे निविदाकार को अपना पूर्ण नाम एवं दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।)

Scanned with OKEN Scanner

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)
सुरक्षा गॉर्ड हेतु निविदा

प्रपत्र दो

निविदा की विशेष शर्तें

1. निविदा निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट अथवा पी. एण्ड. टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय में सीधे प्राप्त नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जावेगा। डाक/कोरियर के माध्यम से प्रेषित निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम दिनांक 07/08/2024 समय अपरान्ह 5.00 बजे तक होगा। विलंब से प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय जवाबदेह नहीं होगा।
2. वही एजेंसी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जाएगी, जो निम्नानुसार पात्रता रखते हों :–
   (अ) जिसमें छत्तीसगढ़ के शासकीय, अर्द्धशासकीय, राजकीय विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संस्थानों में न्यूनतम 03 वर्ष का सुरक्षा संबंधी कार्य किया हो तथा किसी एक कार्यादेश की न्यूनतम क्षमता 40 सुरक्षा कर्मी की हो। समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।
   (ब) जिस एजेंसी के पास ऐसे दो ठेके वर्तमान में संचालित हो, जिसका पारिश्रमिक ₹ 30 लाख प्रतिवर्ष से कम न हो। (इसके समर्थन में एजेंसी का कार्यादेश/अन्य दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)
3. प्रपत्र राशि, धरोहर राशि एवं आवश्यक विवरण जो कि विश्वविद्यालय द्वारा चाही गई है, संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में निविदाएं निरस्त मानी जावेगी।
4. निविदाएं निर्धारित तिथि दिनांक 08/08/2024 को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में समय पूर्वान्ह 11 .30 बजे से खोली जावेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि (निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्राधिकार एवं पहचान पत्र के साथ) उपस्थित हो सकते हैं। बैठक में फर्म प्रतिनिधी मोबाईल फोन स्वीच ऑफ रखेंगे। किसी एक फर्म से कोई एक ही प्रतिनिधी बैठक में शामिल हो सकेगा। आगंतुक द्वारा क्रय समिति से शालीनता का व्यवहार किया जावे अन्यथा उन्हे बैठक से निष्कासित किया जा सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनी जावेगी।
5. सुरक्षा एजेंसी को समस्त शुल्क का विवरण जैसे ई.एस.आई, ई.डी.एल.आई., एडमिन चार्ज, ई.पी.एफ., एच.आर.ए., अन्य भत्ते, सेवा शुल्क आदि देना होगा। समस्त फर्मो के द्वारा दर अनुसूची में समस्त सुविधा/कर सहित प्रति व्यक्ति की दर में पूर्णांक संख्या में दर अंकित किया जावे अर्थात् दशमलव अथवा प्रतिशत में दरों का उल्लेख नही करेंगे।
6. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अपना सेवा शुल्क न लेने की स्थिति में यह स्पष्ट करना होगा कि वह अपने खर्च की पूर्ति कैसे करेंगे तथा शासन द्वारा प्रदत्त सभी शर्तों का पालन किस प्रकार करेंगे?
7. सुरक्षा एजेंसी को शासन एवं विश्वविद्यालय के सभी नियम, शर्त, समय– समय पर जारी आदेश, एवं निर्देश मानने होगें तथा उल्लंघन की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी ।
8. सुरक्षा एजेंसी में संलग्न सभी सुरक्षा कर्मियों का ई. पी. एफ., आधार कार्ड, बीमा सुरक्षा एजेंसी के द्वारा होना अनिवार्य है, जिसकी सूची संलग्न करनी होगी तथा संबंधित संस्थाओं में जमा राशि की रसीद की छायाप्रति जमा करनी होगी।
9. सुरक्षा एजेंसी को शासन के द्वारा निर्धारित सभी करों का उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना होगा।
10. सुरक्षा एजेंसी को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर का पालन करना होगा एवं किसी भी सुरक्षा कर्मी को सुरक्षा एजेंसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन देय नहीं होगा ।
11. यदि सुरक्षा एजेंसी का न्यूनतम दर प्राप्त होता है और शासन के करों तथा अन्य विवरण का उल्लेख नहीं है तो भी उनकी निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी।
12. सुरक्षा गॉर्ड का पहचान पत्र सुरक्षा एजेंसी द्वारा जारी किया जाना होगा।
13. आवश्यकतानुसार निविदाकर्ताओं से चर्चा कर दरें एवं अन्य शर्ते निर्धारित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। चर्चा की तिथि अथवा समय विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार निर्धारित करेगा।
14. विश्वविद्यालय को किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा एक या एक से अधिक/समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा ।

Scanned with OKEN Scanner

15. ऐसे निविदाकर्ता जो कि निविदा में विश्वविद्यालय की निर्धारित शर्तो को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, उन्हें चर्चा की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।
16. ऐसी निविदाएं जो निविदा प्रेषकों द्वारा सशर्त प्रस्तुत की गई है, स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
17. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ठेका प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है, अथवा कार्य असंतोषप्रद पाया जायेगा अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई धरोहर की राशि विश्वविद्यालय द्वारा ज़ब्त कर ली जावेगी।
18. निविदा के साथ धरोहर राशि **₹ 2,00000 =00** (दो लाख) मात्र जमा करना अनिवार्य है। यह राशि निविदा स्वीकृत होने की दशा में प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी। कार्य अवधि में फर्म के द्वारा सफलतापूर्वक, बिना किसी विवाद या अवमानना के संपादन के बाद ही, निविदा अवधि समाप्ति पर बिना ब्याज की धरोहर राशि मूलतः वापस की जा सकेगी। धरोहर राशि ''कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर'' के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट मुख्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक का होना चाहिए अन्यथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक जिनकी शाखा कार्यालय जगदलपुर, जिला –बस्तर में स्थापित हो, उनके डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जावे।
19. ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदाएं विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी धरोहर की मूल राशि निविदा प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् एवं एक माह के अंदर लौटाई जा सकेगी किंतु प्रपत्र राशि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा।
20. निविदाकर्ताओं का नियोजन के रूप में भविष्यनिधि /ESIC का स्वंय का कोड होना आवश्यक है ।
21. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में भरे गए दर राज्य एवं केन्द्र सरकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए होना चाहिए।
22. निविदाकर्ता को निविदा के साथ संलग्न पेन नंबर या आयकर निर्धारण प्रमाण पत्र की फोटोकापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
23. निविदाकर्ता निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर एवं ग्राम कालीपुर के समीप परिसर का अवलोकन कर लें, जिससे भविष्य में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति, मात्रा, वृहदता एवं परिस्थिति की जानकारी हो सके।
24. यदि दो या दो से अधिक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समान दर अंकित किया जायेगा तो अधिकतम अवधि से सुरक्षा कार्य करने की अनुभव रखने वाली सुरक्षा एजेन्सी को विश्वविद्यालय प्राथमिकता दे सकता है। यदि उसमें भी समानता पाई जाती है तो लॉटरी पद्यति द्वारा कार्यादेश हेतु फर्म का चयन किया जा सकेगा।
25. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दरम्यान EPF एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन में जमा किये गये चालानों की छायाप्रति संलग्न करें।
26. लेबर लायसेंस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
27. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
28. ठेका अवधि में आकस्मिक दुर्घटना/धन–जन हानि/अन्य आपदा इत्यादि की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नही होगी। निविदाकर्ता/ठेकेदार अपने कर्मियो की समूह पॉलिसी की जिम्मेदारी स्वयं निर्वाह करेंगें।
29. सफल निविदाकार को कार्य आबंटन एवं सुरक्षा की रूपरेखा दर्शित करने वाली सामग्रियां तत्काल प्रस्तुत करनी होगी। समस्त सुरक्षा कर्मियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के नाम, पते (स्थायी/अस्थायी), टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराते हुए चरित्र इत्यादि का सत्याापन निविदाकार को करना होगा। इसके साथ ही कार्यरत सुरक्षा गॉर्ड के आधार कार्ड/सुरक्षा एजेंसी द्वारा जारी पहचान पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रति– माह जमा करना होगा। कार्यादेशित एजेंसी अस्वस्थ, नाबालिग एवं बुजुर्गो को कार्य में नहीं रखेगा।
30. कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं पुलिस वेरीफिकेशन स्थायी निवास के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का प्रमाण पत्र द्वारा उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही कार्य पर लगाए जाएगें। यह निविदाकार की जबावदेही होगी ।
31. प्रतिदिन 8 घण्टे की एक पाली/प्रहर अनुसार, 03 पाली/प्रहर अर्थात 24 घण्टे की सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुपस्थित पाली/प्रहर/कालखण्ड कटौती करते हुये भुगतान

Scanned with OKEN Scanner

किया जावेगा। आवश्यकता होने पर आपातकाल में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था निविदाकार के द्वारा तत्काल करना होगा।

32. निविदा तीन पृथक–पृथक लिफाफे में अर्थात प्रथम लिफाफे में तकनीकी बीड तथा द्वितीय लिफाफे में प्रपत्र राशि एवं धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट तथा तृतीय लिफाफे में दर अनुसूची से संबंधित विषय अंकित करते हुए तीनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गयी निविदा ही मान्य की जावेगी। लिफाफे के उपर **"सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित निविदा तथा निविदा क्रमांक एवं दिनांक"** अंकित किया जाये। प्रत्येक लिफाफे में लिफाफे के दस्तावेजों की जानकारी अंकित किया जावे।

33. समस्त संलग्न छायाप्रतियां सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित न होने की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जाएगी।

34. सफल निविदाकार को विश्वविद्यालय के शर्तो के अनुरुप ₹ 100 =00 के गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर में अनुबंध (नोटराईज्ड) करना होगा। अनुबंध की कंडिकाऐं सफल निविदाकार को मान्य करना अनिवार्य होगा। अनुंबध करने पर ही कार्यादेश जारी किया जा सकेगा। अनुबंध नहीं करने पर धरोहर राशि विश्वविद्यालय के पक्ष में राजसात की जावेगी।

35. निविदा अनुबंध की तिथि से अथवा कार्यादेश में उल्लेखित समय से 12 माह तक वैद्य होगी। एजेंसी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर विश्वविद्यालय एवं एजेंसी की आपसी सहमति से निविदा के स्वीकृत दर में वृद्धि नहीं करने की शर्त पर कार्यादेश पुनः 06 माह तक बढ़ाया जा सकेगा। कार्य की अवधि अधिकतम 18 माह तक होगी किंतु ऐसा करना/न करना विश्वविद्यालय के क्षेत्रांतर्गत होगा।

36. सफल निविदाकार/अनुबंधित सुरक्षा एजेंसी को प्रति सप्ताह/माह अग्रिम ड्यूटी रोस्टर (प्रत्येक दिन का) कुलसचिव अथवा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रकार से किसी भी सुरक्षा गॉर्ड की ड्यूटी में परिवर्तन करने पर अग्रिम सूचना एवं अनुमति लेना होगा।

37. जितने भी सुरक्षा गॉर्ड की तैनाती की जावेगी, उसमें से न्यूनतम 20% Ex – Serviceman, 30% महिला सुरक्षा गार्ड होना अनिवार्य होगा। निर्देश के अनुसार कन्या छात्रावास एवं अन्य निर्धारित स्थल में महिला सुरक्षा गार्ड रखना होगा।

38. सुरक्षा गार्ड एवं गनमेन के द्वारा लापरवाही पूर्वक ड्यूटी करते पाये जाने पर अर्थदण्ड 2 प्रतिशत कुल राशि के बिल में कटौती कर ली जावेगी।

39. किसी प्रकार के विवाद, अस्पस्टता की स्थिति में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा, जो न्यायालयीन परिधि से बाहर होगा। माननीय कुलपति जी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

40. न्यायालयीन प्रक्रिया बस्तर जिला – जगदलपुर क्षेत्रांतर्गत मान्य होगा।

मैंने उपरोक्त उल्लेखित नियमों एवं शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ा और स्पष्ट रूप से समझा है और उपरोक्त नियम एवं शर्तो से मैं पूरी तरह से सहमत हूं तथा पालन के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

मोहर/दिनांक..........

Scanned with OKEN Scanner

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)
सुरक्षा गॉर्ड हेतु निविदा

(रु. 50/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करें।)

शपथ–पत्र (प्रारूप)

मैं .... संस्था प्रमुख, पता ....शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्तो का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा देय ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है एवं कोई देय राशि बकाया नहीं है। हमारे फर्म के पास जीवित पसरा लायसेंस उपलब्ध है। प्रस्तुत निविदा में अंकित कोई भी जानकारी अधूरी, भ्रामक या असत्य पाई जाती है, तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी भी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर की संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था .... किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/स्वशासी विभाग में ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) में दर्ज नहीं है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

मोहर/दिनांक..........

Scanned with OKEN Scanner

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)
सुरक्षा गॉर्ड हेतु निविदा

–:पूर्व योग्यता जॉच सूची:–

(Technical Bid)

टीप – यदि संलग्न किया गया है तो "हां" कॉलम में ✔ का निशान लगायें, संलग्न न करने की स्थिति में "नहीं" के लिए **X** का निशान अंकित करें।

क्र.	विवरण	हॉं	नहीं	संलग्न पृष्ठ का सरल कमांक
01	सुरक्षा एजेंसी का नाम, पता एवं दूरभाष नंबर –			
02	ई.पी.एफ.ओ. में एजेंसी का स्थापना नाम एवं आई. डी., स्थापना वर्ष –			
03	इम्पलॉयर/कॉन्ट्रेक्टर कोड –			
03	GST नंबर (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)			
04	PAN नंबर (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)			
05	जीवित लेबर लायसेंस प्रमाण–पत्र –			
06	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन –			
07	ई.पी.एफ.ओ./भविष्य निधि पंजीयन प्रमाण पत्र कोड सहित –			
08	ई.एस.आई.सी. में पंजीयन प्रमाण पत्र कोड सहित –			
09	अनुभव प्रमाण पत्र/परफार्मेस सर्टीफिकेट विगत तीन वर्षो में कार्यरत संस्था से जारी कार्यादेश एवं कार्य, गुणवत्ता, प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, एवं 2023–24) –			
10	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम, पता, एवं दुरभाष नम्बर			
11	एजेन्सी की वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षो में न्यूनतम ₹ 50.00 लाख प्रतिवर्ष रहने की सी.ए.से प्रमाणित अंकेक्षण पत्रक (वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, एवं 2023–24) –			
12	आयकर निर्धारण पत्रक, विगत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न विवरण एवं I.T.R. Acknowledgement Reciept. (वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, एवं 2023–24) –			
13	वर्कमेन कम्फरमेशन पॉलिसी (जीवित) की छायाप्रति			
14	प्रपत्र राशि एवं अमानत राशि की डिमांड ड्राफ्ट, जो **कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर** के नाम से देय हो, संलग्न करें –			
15	फाईनेंसियल बीड संलग्न है अथवा नहीं। –			
16	आयकर भुगतान चालान की छायाप्रति (Form -16 सहित) वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, एवं 2023–24 का संलग्न करना अनिवार्य है। –			
17	₹ 50/– के गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर में ब्लेक लिस्टेट नहीं होने संबंधी शपथ पत्र। –			

निविदाकार के हस्ताक्षर
मोहर/दिनांक..........

Scanned with OKEN Scanner

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)
सुरक्षा गॉर्ड हेतु निविदा

—: दर अनुसूची :—
(Financial Bid)

प्रपत्र—तीन

कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला (वित्त शाखा), जगदलपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक/05/सविलि—एक/2023—2024, जगदलपुर, दिनांक 04/06/2024 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी अंकित करने पर दर अनुसूची अमान्य किया जावेगा। वर्तमान में निविदा जारी होने की तिथि अथवा निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि में प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार ही न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी राशि की प्रविष्टि न करें। दरों का उल्लेख स्पष्ट हो एवं कांट — छांट युक्त न हो।

तालिका 1 (सुरक्षा गॉर्ड)

क्रमांक	पदनाम	विवरण	मूल राशि (GST अतिरिक्त)
1	सुरक्षा गॉर्ड	प्रति सुरक्षा गॉर्ड हेतु एकमुश्त मासिक दर (फर्म को शासन के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, लेबर एक्ट, ई.पी.एफ., ई. एस.आई.सी., दुर्घटना बीमा आदि समस्त प्रावधान के साथ)	
2	एजेंसी का सर्विस चार्ज —		
3	**महायोग —**		

तालिका 2 (सिक्यूरिटी सुपरवाईजर)

क्रमांक	पदनाम	विवरण	मूल राशि (GST अतिरिक्त)
1	सिक्यूरिटी सुपरवाईजर	प्रति सुरक्षा गॉर्ड हेतु एकमुश्त मासिक दर (फर्म को शासन के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, लेबर एक्ट; ई.पी.एफ., ई. एस.आई.सी., दुर्घटना बीमा आदि समस्त प्रावधान के साथ)	
2	एजेंसी का सर्विस चार्ज —		
3	**महायोग —**		

मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दरें निविदा के नियम व शर्तो के अनुसार भरा गया है, जो समय—समय पर केन्द्र, राज्य सरकार तथा बस्तर जिला प्रशासन द्वारा बनाये गये लेबर कानून एवं नियम के अनुसार प्रदत्त सभी सुविधाओं एवं दायित्वों के पालन सहित है। उपरोक्त दर सभी लागत सहित है।

निविदाकार के हस्ताक्षर :————————————

फर्म का नाम व पता : ————————————

————————————————————

फर्म की सील/स्टाम्प :————————————

फोन व मोबाईल नंबर :————————————

Scanned with OKEN Scanner

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)
सुरक्षा गॉर्ड हेतु निविदा

प्रपत्र चार

निविदा की शर्तें

1. सुरक्षा एजेंसी या सुरक्षा गार्ड का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर या सुरक्षा कार्य में लापरवाही पाये जाने पर या विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्देशों के अवहेलना करने पर या प्राप्त लिखित शिकायत/प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच समिति गठित कर जांच कराये जाने से पूर्व अथवा उसके पश्चात् प्राप्त प्रतिवेदन पर कुलपति के अनुमोदन पश्चात् सुरक्षा ठेका फर्म को बिना पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त/निरस्त किया जा सकेगा। सुरक्षा एजेंसी को सुनवाई का अवसर दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
2. सुरक्षा एजेंसी विश्वविद्यालय के संपूर्ण परिसर व परिसर में स्थित सभी भवनों एवं कार्यालयीन संपत्ति की दिन–रात (24 घंटे एवं 7 दिवस) एवं प्रत्येक दिवस, जिसमे सभी प्रकार के अवकाश का दिवस भी सम्मिलित होगा की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेगा।
3. सुरक्षा एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा गार्ड/गनमेन संभावित होने वाली घटनाओं तथा चोरी, नुकसान एवं संपत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की मानवीय, पशुओं या जहरिले जीव – जंतुओं, किटों से कोई घटना घटित होने पर उसकी मौखिक एवं लिखित सूचना विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी अथवा प्रशासन विभाग को अविलंब दी जावेगी। प्राप्त मौखिक एवं लिखित सूचना विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकारियों की एक/दो/तीन सदस्यीय समिति गठित कर प्रकरण की जांच की जावेगी। जांच उपरांत सुरक्षा एजेंसी को उत्तरदायी पाए जाने पर विश्वविद्यालय को जो क्षति हुई है, उसकी वसूली एजेंसी के देयक से की जावेगी अथवा राजस्व वसूली की तरह वसूली की जायेगी।
4. सुरक्षा एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में आने–जाने वाले समस्त प्रकार की सामग्री तथा परिसर के भीतर प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले सभी वाहनों/व्यक्तियों के रिकार्ड रखने की व्यवस्था विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी अथवा प्रशासन विभाग अथवा भण्डार विभाग के निर्देशों के अनुसार करनी होगी, उक्त विभागों द्वारा कभी भी किसी भी कार्यस्थल/दस्तावेज का औचक निरीक्षण किया जा सकेगा। सुरक्षा गॉर्ड असामाजिक/विवादास्पद तत्वों को परिसर में प्रवेश नहीं देगी तथा परिसर/भवन में प्रवेशित सभी आगंतुकों का आने–जाने का समय, आने का प्रयोजन इत्यादि सूचनाऐं पंजी में संधारित करनी होगी।
5. सुरक्षा एजेंसी स्वयं के व्यय से सुरक्षा गार्ड को वर्दी, प्रोटेक्टिव गारमेंट एवं परिचय पत्र उपलब्ध कराएगी, ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित हो। अनुबंधकर्ता द्वारा नियोजित सभी सुरक्षा गार्ड को पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जारी पहचान पत्र (जिसमें उनका नाम, उम्र तथा स्थानीय पता (स्वयं का एवं अनुबंधकर्ता के दूरभाष/मोबाइल नंबर के साथ) दर्ज हो) धारण करते हुये प्रत्येक शिफ्ट में ड्यूटी करना होगा, उक्त पहचान–पत्र सुरक्षा एजेंसी द्वारा अधिकृत सुरक्षा व्यवस्थापक एवं विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी अथवा प्रशासन विभाग के अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।
6. सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति पंजी रखा जावेगा, जिसकी जांच समय–समय पर सुरक्षा एजेंसी द्वारा अधिकृत सुरक्षा व्यवस्थापक एवं विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्रशासन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी किया जावेगा। प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति पंजी में दर्ज किये जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्रशासन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को सौंपना होगा।
7. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अग्निशामक (आग बुझाने वाले) उपकरणों का रख–रखाव भी सुनिश्चित किया जावेगा एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा, ताकि आकस्मिक आगजनी घटनाएं घटित होने पर त्वरित गति से काबू पाया जा सके। सुरक्षा गार्ड/सुपर वाईजर को अग्निशामक (आग बुझाने वाले) उपकरणों का रख–रखाव एवं उपयोग कैसे करना है, की व्यावहारिक जानकारी होना अनिवार्य होगा।
8. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि विश्वविद्यालय परिसर, भवन, प्रयोगशालाओं, स्टोर, कमरों के अंदर या बाहर रखी गई सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। यदि ऐसी कोई सामग्री असुरक्षित रूप से बाहर रखी हुई दिखाई देती है तो सुरक्षा एजेंसी द्वारा उसकी लिखित सूचना तत्काल प्रबंधन को दी जावेगी तथा उससे पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग/भण्डार विभाग के अधिकारी को इसकी सूचना दी जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

9. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अनाधिकृत एवं निषिद्ध व्यक्ति अथवा आवारा पशु परिसर में प्रवेश न कर सकें।
10. सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मियों को विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के समक्ष भुगतान कर प्रबंधन के प्रतिनिधि के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के साथ देयक प्रत्येक माह के पांच तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। देयक के साथ एजेंसी द्वारा भुगतान किये गये वेतन–पत्रक की छायाप्रति, सत्यापित उपस्थिति पत्र तथा गत माह सुरक्षा कर्मियों से काटे गए भविष्य निधि राशि शासकीय कोष में जमा किये चालान की छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा एजेंसी का देयक अपूर्ण मानकर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। यदि एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन अथवा किसी कर्मचारी को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कर्मी को ठेकेदार की ओर से सीधे भुगतान कर दिया जाएगा एवं एजेंसी से उक्त राशि वसूल की जाएगी। इस प्रकार श्रम कानूनों के अंतर्गत एजेंसी द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
11. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना जांच के अथवा यथोपरि अनुसार जांच के पश्चात सुरक्षा ठेका निरस्त कर दिया जाएगा एवं ऐसे प्रकरण में, जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
12. सुरक्षा एजेंसी को रिकार्ड रखने, बैठने एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु प्रशासन विभाग द्वारा स्थान उपलब्ध कराएगा। सुरक्षा एजेंसी बिना आवंटन के विश्वविद्यालय के सामग्रियों का उपयोग नहीं करेगा। कार्यादेशित फर्म को सामग्रियों की आवश्यकता होने पर लिखित मांगपत्र दिया जाना होगा तथा ठेका समाप्ति के बाद सभी सामग्रियों को भण्डार शाखा को वापस करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा अन्यथा क्षतिग्रस्त/गुम सामग्रियों का उनकी क्रय दर पर विश्वविद्यालय को क्षति राशि कार्यादेशित फर्म द्वारा देय होगा।
13. ठेके के दौरान सुरक्षा एजेंसी, विश्वविद्यालय के कार्यरत अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों/दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों अथवा उनके रिश्तेदारों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा एजेंसी विश्वविद्यालय हेतु कार्य पर नहीं रख सकेगी।
14. सुरक्षा एजेंसी को अपने सुरक्षा गार्ड को कार्य पर रखने के पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किसी भी सुरक्षा गार्ड के आचरण/व्यवहार में अनुचित रूप से शंका पाये जाने पर अथवा कुलसचिव/प्रशासन विभाग/भण्डार विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर एजेंसी द्वारा तत्काल उक्त कर्मी को हटा दिया जाएगा।
15. सुरक्षा एजेंसी को यह अधिकार होगा कि वह मुख्य प्रवेश द्वार से आने–जाने वाले वाहन, विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों/दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/मजदूरों एवं बाहरी व्यक्तियों की तलाशी ले सकती है एवं विश्वविद्यालय परिसर में भवनों, प्रयोगशालाओं, विभागों, कमरों के अंदर भी आवश्यकतानुसार तलाशी ली जा सकती हैं परन्तु तलाशी लेने के पूर्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव/कुलसचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी/प्रशासन विभाग के अधिकारी/भण्डार विभाग के अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। तलाशी के दौरान सुरक्षा गार्ड को सौम्य, सरल एवं मर्यादित व्यवहार रखना होगा। महिलाओं की तलाशी केवल महिला सुरक्षा गार्ड द्वारा ही लिया जा सकेगा। अतः सुरक्षा एजेंसी को कम से कम 3 महिला सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था अनिवार्यतः करना होगा। कन्या छात्रावास में आवश्यकता के अनुसार महिला सुरक्षा गॉर्ड की तैनाती की जावेगी।
16. सुरक्षा एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने सुरक्षा गार्ड को वेतन/पारिश्रमिक भुगतान एवं नियमानुसार एलाउन्स आदि का भुगतान बैंक एकाउन्ट के माध्यम से देगी। सुरक्षा गार्ड को देय मासिक/दैनिक वेतन/पारिश्रमिक श्रमायुक्त, छ.ग. शासन/कलेक्टर, जिला–बस्तर द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मासिक/दैनिक वेतन/पारिश्रमिक से कम नहीं होगा। ईपीएफ, अंशदान एवं सुरक्षा गार्ड/गनमेन को प्रदत्त सुविधाओं के लिए समस्त राशि सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत देयक से काटकर विश्वविद्यालय द्वारा जमा की जा सकेगी। सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा गार्ड/गनमेन को वेतन/पारिश्रमिक भुगतान एवं नियमानुसार एलाउन्स आदि का भुगतान निर्धारित काउन्टर/कक्ष से विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्रशासन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष कर सकेगा।
17. सुरक्षा एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह छत्तीसगढ़ में लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे–फैक्ट्री एक्ट, श्रम संविदा अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों तथा श्रम

Scanned with OKEN Scanner

विभाग, छ.ग. शासन द्वारा श्रमिकों/ठेका कर्मियों के हित में समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करें। सुरक्षा एजेंसी की गलती की वजह से यदि शासन द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को दण्ड निर्धारित किया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वे सुरक्षा एजेंसी को किये जाने वाले भुगतान से इस प्रकार की क्षति को समायोजित किया जावेगा।

18. सुरक्षा एजेंसी का कोई भी सुरक्षा गार्ड कार्य अवधि में किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन/संघ आदि की अवैधानिक गतिविधियों/हड़ताल में भाग नहीं लेगा और न ही ऐसी कोई गतिविधि उनके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित की जावेगी।
19. विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेंसी उत्तरदायी होगी। किसी भी स्थिति में सुरक्षा गार्ड एक दिन में लगातार दो शिफ्टों में कार्य नहीं करेगा। यह सुनिश्चित करने की जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी, अन्यथा एजेंसी का भुगतान रोककर कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा।
20. विश्वविद्यालय के कुलसचिव/अधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय-समय पर निर्देश दिया जावेगा, जिसका सुरक्षा एजेंसी को पालन करना अनिवार्य होगा।
21. सुरक्षा एजेंसी विश्वविद्यालय प्रशासन की आवश्यकता एवं निर्देश अनुसार समय प्रबंधन एवं ऑफिस रिकार्ड आदि रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
22. सुरक्षा एजेंसी डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को विश्वविद्यालय प्रशासन विभाग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
23. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सुरक्षा एजेंसी को किसी भी प्रकार की लिपिकीय/टंकण सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगी। उक्त व्यवस्था सुरक्षा एजेंसी स्वयं करेगी।
24. सुरक्षा एजेंसी अनुबंध/निविदा की शर्तो का उल्लंघन करता है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा को सुरक्षा ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा।
25. सुरक्षा एजेंसी को अपने कर्मचारियों के लिए फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड आदि देने होगें एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड एजेंसी को स्वयं ही रखना होगा। जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे।
26. गॉर्ड विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों/विशेष आगंतुकों के प्रति सदैव सम्मान का भाव प्रकट करेंगे, उनके द्वारा अश्लील एवं अशोभनीय वार्तालाप विश्वविद्यालय परिसर में नहीं किया जावेगा। गार्ड सदैव पूर्ण गणवेष में रहेंगे। माननीय कुलपति, कुलसचिव, जनप्रतिनिधी के उपस्थिति के दौरान वे खड़े रहेंगे एवं सेल्यूट करेंगे। अधिकारियों/शिक्षकों/वरिष्ठ जनों के उपस्थिति के समय वे खड़े रहेंगे।
27. विश्वविद्यालय प्रबंध के परिसर में धुम्रपान/मदिरापान, अन्य अवांछित पदार्थो का सेवन पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रबंधन को स्वविवेक से सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना करने का अधिकार होगा। सुरक्षा एजेंसी दोषी सुरक्षाकर्मी को तत्काल विश्वविद्यालय की सुरक्षा सेवा से हटा देगी।
28. सुरक्षा एजेंसी अपने कर्मचारियों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई. कटौती अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका संपूर्ण अधिकार एवं रिकार्ड एजेंसी द्वारा स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु यह रिकार्ड विश्वविद्यालय प्रशासन को समय-समय पर प्रस्तुत किया जावेगा।
29. निविदाकर्ता उनके द्वारा दी गई दरों को संलग्न प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर रिक्त स्थान में सुरक्षा एजेंसी की अधिकृत मोहर लगाकर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना होगा।
30. विश्वविद्यालय प्रशासन को वर्तमान में आवश्यक सुरक्षा गार्ड की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है, जो कि परिवर्तनीय है:-

पद नाम	शिफ्ट (प्रति शिफ्ट 8 घंटा कार्यावधि)		
	प्रथम शिफ्ट	द्वितीय शिफ्ट	तृतीय शिफ्ट
सुरक्षा गार्ड	15	15	15
सुपर वाईजर	1	1	1

Scanned with OKEN Scanner

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)
सुरक्षा गॉर्ड हेतु निविदा

यह संख्या विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। निविदाकर्ता अपनी दरें एवं सर्विस चार्जेस का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित प्रपत्र में ही करें।

31. यदि विश्वविद्यालय प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो माननीय कुलपति जी के समक्ष उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा। माननीय कुलपति जी द्वारा लिया गया निर्णय सुरक्षा एजेंसी एवं विश्वविद्यालय प्रशासन/संबंधित स्टॉफ को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

32. **(अ)** विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों, समय–सारिणी एवं निर्धारित स्थल पर एजेंसी को सुरक्षा कर्मी पदस्थ करना अनिवार्य होगा। नियोजित सुरक्षा गार्ड/सुपरवाईजर की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इन सुरक्षा गार्ड/सुपरवाईजर की न्यूनतम उंचाई 160 से.मी. (बिना जूता पहने) तथा न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम अथवा उम्र एवं उंचाई के आनुपातिक होना चाहिए। इन जवानों को छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए, बस्तर क्षेत्र के स्थानीय बोली का भी ज्ञान वांछनीय है। इन्हें चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ्य होने का प्रमाण पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा इनको जारी पहचान पत्र अनुबंध आरंभ होने के साथ–साथ विश्वविद्यालय में इनसे संबंधित निम्न जानकारी देते हुये आवश्यक दस्तावेज विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग में जमा करना होगा :–

    1. सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि जानकारी।
    2. स्थायी पता एवं वर्तमान पता, मोबाईल नंबर, आदि।
    3. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, प्रशिक्षण में सहभागिता प्रमाण पत्र, निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र।
    4. सक्षम अधिकारी द्वारा अद्यतन जारी चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/वोटर आईडी आदि।
    5. पासपोर्ट आकार के 3 नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ।

    (ब) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित सुरक्षा गार्ड पूर्ण मुस्तैदी से एवं जागरूकता से कार्य संपादित करें तथा पूर्ण अनुशासित रहें। एजेंसी के कर्मचारियों की लापरवाही से विश्वविद्यालय को आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली एजेंसी से की जावेगी। इसी प्रकार कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपरोक्त पेनाल्टी एजेंसी से ली जावेगी। इस संबंध में माननीय कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा।

    (स) एजेंसी द्वारा असंतोषप्रद कार्य किये जाने पर अथवा अनुबंध की कंडिकाओं का उल्लंघन किये जाने पर अथवा लापरवाही पूर्वक कार्य किये जाने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रकरण के गुण–दोष को ध्यान में रखते हुए एजेंसी की सेवा तत्काल समाप्त की जाएगी तथा एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी अथवा एक माह के लिए नोटिस देकर यह ठेका समाप्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात कर लिया जाएगा। इस संबंध में कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा।

33. विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि समस्त परिसर हेतु सुरक्षा व्यवस्था का ठेका एक ही अथवा विभिन्न सुरक्षा एजेंसी को आवंटित करे।

34. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जो शर्ते, नियम, ठेका, अवधि, सुरक्षा गार्ड की संख्या आदि में किए गए संशोधन को निविदाकार द्वारा मान्य करना होगा।

35. वर्दीधारी सुरक्षा कर्मी/सुपरवाईजर निर्धारित स्थान पर टार्च, लाठी एवं सीटी आदि से लैस होकर ड्यूटी करेंगे। उक्त सामग्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराना होगा। उनके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में समय– समय पर गश्त किया जाना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा ठेके की उक्त प्रावधान क्रमांक 01 से 35 के तहत एवं अनुबंध कंडिकाओं के अनुसार ही सुरक्षा एजेंसी का ठेका मान्य होगा।

कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner